न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.51/2025 (GCMS No. 2025/163)	प्रार्थना पत्र	09.12.2025	17.03.2026

बाबूलाल आ. भैरूलाल जाति बैरवा
निवासी ग्राम खरायता, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी
2. उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी
3. तहसीलदार इन्द्रगढ
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारतीय रेलवे (पश्चिम–मध्य रेलवे) विभाग जर्ये अधिशाषी अभियन्ता, ए.डी.आर.एम. कोटा (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम बाबत

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार मेघवंशी, एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में रेलवे ब्रिज एल सी 136 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के नियमानुसार लोक प्रयोजनार्थ ग्राम खरायता, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा संख्या 641/2 अवाप्त रकबा 0.0044 हैक्टेयर बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उक्त अवार्ड को निरस्त किया जाकर प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि बढाई जाकर संशोधित अवार्ड राशि जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 51/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/163 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी सं. 4 के रजिस्टर्ड डाक से नोटिस तामील करवाये जाने के उपरान्त भी असालतन या वकालतन उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी सं.4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थी के खाते एवं अधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 641/2 अवाप्त रकबा 0.0044 हैक्टेयर वाकेग्राम खरायता को रेलवे ओवरब्रिज एल.सी.136 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन कर नोटिस दिनांक 15.04.2025 जारी किया गया है। मौके पर अवाप्ताधीन रकबा 0.0044 हैक्टेयर से अधिक रकबा अवाप्त किया गया, जो करीब 05 बिस्वा है, जबकि प्रार्थी को अधिक अवाप्त की गई भूमि का पूरा मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि पर काफी सारे नीम के वृक्ष भी लगे हुए है जिनका भी मुआवजा निर्धारण नहीं किया गया। मौका स्थिति के अनुसार भूमि का सीमाज्ञान अनुसार मुआवजा मात्र रूपये 2,74,000/– दिये गये, जबकि अवाप्त की गई भूमि का वास्तविक मुआवजा रूपये 12,00,000/–बनता है।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा अवाप्त भूमि की मौका स्थिति का सही अवलोकन किये बिना ही अवार्ड राशि का निर्धारण किया गया, जो कम होने से निरस्तनीय है। अवाप्त रकबे का पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर अवाप्त भूमि का सही मूल्यांकन किया जाकर वर्तमान नवीनतम डीएलसी दर से पुनः मुआवजा तय करवाया जावे। साथ ही नीम के वृक्षों का भी मुआवजा दिलाया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पेश किया जाकर रेलवे ओवर ब्रिज एल.सी.136 निर्माण में ग्राम खरायता, तहसील इन्द्रगढ में विस्थित प्रार्थी के स्वामित्व की अवाप्त की गई भूमि खसरा सं. 641/2 अवाप्त रकबा 0.0044 हैक्टेयर भूमि के लिये मुआवजा राशि की गणना की गई है। जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि में 0.0044 हैक्टेयर से अधिक रकबा अवाप्त कर लिये जाने, नवीनतम डीएलसी दर से मुआवजा राशि की गणना नहीं किये जाने एवं वृक्षों का मुआवजा नहीं दिये जाने की आपत्ति प्रकट करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः न्यायहित को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को आदेश दिया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 641/2 अवाप्त रकबा 0.0044 हैक्टेयर वाके ग्राम खरायता की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की समुचित जांच की जाकर यदि अवार्ड के अतिरिक्त भूमि अवाप्त हुई हो तथा तत्समय अवाप्त भूमि पर वृक्ष मौजूद हो तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को मुआवजा दिया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी